न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 30/2025

दायर दिनांक–24.01.2025

1. रघुवीर सिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–वादी

1. गोपाल कंवर पुत्री हरीसिंह
2. भंवर कंवर पुत्री हरीसिंह
3. धर्मवीर सिंह पुत्र किशोर सिंह
4. जितेन्द्र सिंह पुत्र किशोर सिह
5. जयसिंह पुत्र मदन सिंह
6. मानसिंह पुत्र मदन सिंह
7. सुनिता कंवर पत्नी मदन सिंह
8. संतोष कंवर पत्नी बजरंग सिंह
9. संदीप सिंह पुत्र बजरंग सिंह
10. अमित सिंह पुत्र बजरंग सिंह
11. आजाद सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
12. विजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह
13. किरण कंवर पुत्री उम्मेद सिह
14. इन्द्रसिंह पुत्र समन्दर सिंह
15. सोनू कंवर पुत्री नरेश सिंह
16. विकास सिंह पुत्र नरेश सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
17. राकेश कुमार पुत्र त्रिलोक सिंह जाति जाट निवासी जेरठी तहसील व जिला सीकर
18. संतोष देवी पत्नी हरलाल सिंह
19. हरलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी डोटासरा की ढाणी तन खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
20. अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड युनिट नवलगढ़ वर्क्स जरिये मैनेजर
21. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा जरिये शाखा प्रबंधक
22. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोलसिया जरिये शाखा प्रबंधक
23. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री अशोक कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– श्री महावीर सिंह खीचड़

दावा बाबत : <u>इश्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड व शुरू से ही शुन्य व बेअसर किये जाने दान पत्र दिनांक 22.09.2017 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक–18.03.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम बसावा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 रकबा क्रमशः 1.79, 1.76, 1.87 है0 [illegible] 5.42 है0 भूमि में वादी हिस्सा 3011/108400 का, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 प्रत्येक को हिस्सा [illegible]/2[illegible]0 का तथा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 07 को हिस्सा 4516/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 08 [illegible] 2508/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1008/54200 का खातेदार [illegible] घोषित किया जावे।

वाद पत्र में वर्णित विक्रय पत्र दिनांक [illegible] 2024 [illegible] 202403451101048 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101049 जो भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 कुल किता 03 कुल रकबा 5.42 है0 में हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 व 08 के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार दिया जावे तथा उक्त शुन्य दस्तावेजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:29:50 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3034 व 3035 दिनांक 18.03.2024 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। शेष खसरा नम्बरान बाबत बने उक्त विक्रय पत्र को यथावत रखा जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व 07, 08 की ओर से वकील श्री महावीर खिचड़ ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 व 07, 08 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश होने पर तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु रघुवीर सिंह के चिफ के सपथ पत्र पेश किये। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, 2063–66, 2067–70, असल विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024, असल दान पत्र दिनांक 22.09.2024, असल हकत्याग पत्र दिनांक 26.05.2017 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस मे वाद–पत्र में दर्ज तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण 01 लगायत 16 की पैत्रिक खातेदारी काश्त की भूमि रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 स्व0 हरिसिंह के वारीसान है जिसका हिस्सा 1/3 रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हिस्सा 1/18–1/18 दर्ज रिकॉर्ड रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने 1/9 हिस्से को अपने सगे भाई मदन सिंह, रघुवीर सिंह तथा भाई बजरंग सिंह की पत्नी संतोष कंवर को जरिये हक त्याग पत्र दिनांक 25.05.2017 को उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ़ में पंजीबद्व कर दिया था। जिसको नामान्तरण संख्या 2255 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। तत्पश्चात मदन सिंह, रघुवीर सिंह, संतोष कंवर बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/9 हिस्सा जो नामान्तरण संख्या 2255 दिनांक 20.09.2017 को हक त्याग से प्राप्त भूमि में से 1/4 हिस्सा यानि कि सम्पूर्ण रकबा 5.4200 है0 में से 1/36 हिस्सा का दान पत्र प्रतिवादी संख्या 03 धर्मवीर व प्रतिवादी संख्या 04 जितेन्द्र सिंह के पक्ष में दिनांक 22.09.2017 को करवा दिया। परन्तु उक्त दान पत्र की प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को उपलब्ध करवाने के पश्चात भी राजस्व अधिकारियों ने उक्त दान पत्र से कोई नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही किया। राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से दर्ज नामान्तकरण संख्या 2255 से मदन सिंह, रघुवीर सिंह, संतोष कंवर का नाम हटा दिया तथा सम्वत 2075–2078 की जमाबंदी बनाते वक्त पुनः प्रतिवादी नं0 1 व 2 भंवर कंवर व गोपाल कंवर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। वादग्रस्त भूमि में गलत रूप से दर्ज प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम हिस्सा 1/9 में से 3/4 हिस्सा यानि कि 0.4516 है0 भूमि का एक विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 को वादी व प्रतिवादी संख्या 07 व 08 के पक्ष में तथा 1/4 हिस्सा यानि कि 0.1505 है0 का विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 प्रतिवादी संख्या 03 व 04 के पक्ष में कर दिया जिसका राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 3035 दिनांक 18.03.2024 को दर्ज हुआ है जबकि उक्त दोनों विक्रय पत्र तस्दीक करवाने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को नही था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने अपने हिस्से 1/9 का हक त्याग दिनांक 26.05.2017 को किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रधुवीर सिंह मदन सिंह व सतोंष कंवर के नाम भूमि दर्ज हो चुकी है तथा उक्त राजस्व रिकॉर्ड से स्व0 मदन सिंह, संतोष कंवर व रघुवीर सिंह ने एक दान पत्र भी प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को किया जा चुका है ऐसी स्थिति में कानूनन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 दिनांक 18.03.2024 को किये गये दोनो विक्रय पत्र शुरू से ही शुन्य व बेअसर है यानि की शुन्य दस्तावेज है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101048 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101049 जो भूमि राजस्व ग्राम बसावा में भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 कुल किता 03 कुल रकबा 5.42 है0 में हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 व 08 के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार दिया जाकर तथा उक्त शुन्य दस्तावेजों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3034 व 3035 दिनांक 18.03.2024 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा राजस्व ग्राम बसावा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 रकबा क्रमशः 1.79, 1.76, 1.87 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.42 है0 भूमि में वादी हिस्सा 3011/108400 का, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 प्रत्येक को हिस्सा 3011/216800 का तथा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 07 को हिस्सा 3516/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 2508/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 10[illegible]/54200 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम बसावा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 रकबा क्रमशः 1.79, 1.76, 1.87 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.42 है0 भूमि में वादी को हिस्सा 3011/108400 का, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 प्रत्येक को हिस्सा 3011/216800–3011/216800 का तथा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट-ट्रेक नवलगढ़

55

प्रतिवादी नं0 5 लगायत 07 को हिस्सा 4516/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 25[illegible]/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1003/54200-1003/54200 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 20 के जमाबंदी में दर्ज हिस्सो अनुसार यथावत रखा जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101048 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101049 जो भूमि राजस्व ग्राम बसावा में भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 कुल किता 03 कुल रकबा 5.42 है0 में हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 व 08 के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार दिया जाकर तथा उक्त शुन्य दस्तावेजों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3034 व 3035 दिनांक 18.03.2024 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणार्थ

मुकदमा सं0ः– 30/2025 **(रघुवीर सिंह बनाम गोपाल कंवर आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.03.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बसावा मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 रकबा क्रमशः 1.79, 1.76, 1.87 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.42 है0 भूमि में वादी को हिस्सा 3011/108400 का, प्रतिवादी संख्या 03 व 04 प्रत्येक को हिस्सा 3011/216800–3011/216800 का तथा प्रतिवादी नं0 5 लगायत 07 को हिस्सा 4516/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 08 को हिस्सा 2508/54200 का तथा प्रतिवादी संख्या 09 व 10 प्रत्येक को हिस्सा 1003/54200–1003/54200 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 20 के जमाबंदी में दर्ज हिस्सो अनुसार यथावत रखा जावे तथा विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101048 व विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 क्रम संख्या 202403451101049 जो भूमि राजस्व ग्राम बसावा में भूमि खसरा नम्बर 514, 529, 530 कुल किता 03 कुल रकबा 5.42 है0 में हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 3, 4, 7 व 08 के वैध अधिकारों के खिलाफ शुरू से ही शुन्य व बेअसर करार दिया जाकर तथा उक्त शुन्य दस्तावेजों राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3034 व 3035 दिनांक 18.03.2024 को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। किये जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.03.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासिलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा ग[illegible]	–
फीस कमिश्नर	–	फीस क[illegible]र	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय [illegible]मा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मि[illegible]	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:29:50 IST
Reason: SelfAttested